न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3642/2025

बसंतपुर थाना कांड सं0–614/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–87 भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मुकेश राम व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– श्री रविंद्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. मुकेश राम 2. दिनेश राम 3. मनोज राम 4. प्रतीमा कुमारी की ओर से बसंतपुर थाना कांड संख्या 614/2025, अंतर्गत धारा–87 बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका बिमला देवी के द्वारा टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 06.09.2025 को समय करीब 04:00 बजे सुबह सूचिका की बेटी फूल कुमारी उम्र लगभग 18 वर्ष शौच करने घर से बाहर गई थी। काफी देर होने पर जब वह वापस नहीं आई तो सूचिका अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी बेटी का खोजबीन करने लगी, काफी खोजबीन और जॉच–पड़ताल करने पर पता चला कि मुकेश राम ने शादी करने की नियत से सूचिका की बेटी को बहला–फुसला कर कही लेकर चला गया है। काफी पता करने पर पता चला कि मुकेश राम, दिनेश राम, सूरज राम, मनोज राम, प्रतीमा कुमारी सभी साकिन पड़ौली तिवारी टोला, थाना–भगवानपुर हाट, जिला सिवान ने मिलीभगत कर सूचिका की बेटी को बहला–फुसला कर मुकेश राम के साथ कही भगा दिया है। सभी लोग सूचिका के रिश्तेदारी के ही व्यक्ति हैं। जब सूचिका अपने रिश्तेदारी के लोगों के माध्यम से बात की और अपनी बेटी को बुलाने का प्रयास की तब मुकेश राम के परिवार के नामजद सभी लोग गाली–गलौज करने लगे और कहने लगे कि अगर तुमलोग अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश करोगे या केस करोगे तो हमलोग मुकेश राम से कहकर तुम्हारी बेटी को जान से मरवा देंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि सूचिका के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें द्वेष के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत

लगातार
06.03.2026

आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदनपूर्वक कथन किया गया कि तथाकथित घटना दिनांक 06.11.2025 की है तथा प्राथमिकी दिनांक 13.11.2025 को दर्ज की गई है। विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पीड़िता बरामद हो गई है तथा उसने अपना बयान न्यायालय में दर्ज करायी है और उसने अपने बयान में अपने अपहरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत निवेदन का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका की पुत्री को बहला–फुसलाकर शादी की नियत से गायब करने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, बसंतपुर थाना कांड सं0 614/2025, अंतर्गत धारा 87 भारतीय न्याय संहिता, काराधीन आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका की पुत्री का शादी की नियत से गायब करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिये गये बयान में कथन किया है कि वह घर से बिना बताएं मुकेश कुमार के साथ चली गयी थी और बसंतपुर में शिव मंदिर में उसने शादी कर लिया है। उसके बाद मुकेश कुमार अपनी दीदी के घर नौतन चला गया और पति–पत्नी की तरह रहने लगे, फिर सिवान से ट्रेन से दिल्ली चली गई, वहीं रह रही थी। केस का पता चला तो खुद से दिनांक 10.12.2025 को बंसतपुर थाना पर आई। अभी उसे पति के साथ ससुराल जाना है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पीड़िता का दर्ज बयान में विद्वान न्यायालय के द्वारा पीड़िता को वयस्क पाते हुए इसकी उम्र 18 वर्ष बतायी गयी है। अपहृता ने भी विद्वान न्यायालय से पूछे जाने पर अपनी उम्र 18 वर्ष बताई है। पीड़िता द्वारा अपहरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। कांड दैनिकी के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. मुकेश राम 2. दिनेश राम 3. मनोज राम 4. प्रतीमा कुमारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, सिवान के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त

लगातार
06.03.2026

के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापित
ह0/—
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।